इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर आज दिनांक 05/08/2017 को जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में (झूँसी) में 04 स्थलों पर अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लाटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया जो निम्नवत है–

1. श्री इमरान द्वारा रहिमापुर में कमलेश डिग्री कालेज के पास लगभग 08 बीघे में की जा रही अनधिकृत प्लाटिंग, साइट आफिस एवं गेट ध्वस्त किया गया।
2. श्री काशीराम एवं श्री उदय कुमार द्वारा दुर्जन पुर में सहसों रोड पर किया जा रहा निर्माण ध्वस्त किया गया।
3. श्री अजय कुमार द्वारा वर्कशाप रोड पर गंगोली शिवाला के पास 09 बीघे में किया जा रहा अनधिकृत विकास कार्य एवं गेट ध्वस्त किया गया।
4. श्री पुजैल अहमद उर्फ सचिन पुत्र श्री बच्चा लाल द्वारा लेखराज पुर में लगभग 10 बीघे में की गयी अनधिकृत प्लाटिंग ध्वस्त की गयी।

उक्त कार्यवाही के दौरान अवर अभियन्ता श्री अनिल सिंह, श्री दिनेंश पाण्डेय, भवन निरीक्षक श्री कुवर आनन्द सहित पुलिस बल एवं प्रवर्तन दल मौजूद रहें।

इसी क्रम में जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे के नेतृत्व में श्री रितेश पाल डायरेक्टर मैजिंग फिक्स इन्फ्रा वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लाट नं0 15 जार्ज टाउन विस्तार योजना टैगोर टाउन पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण को सील किया गया।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जे0आर0मौर्या के नेतृत्व में 05 चालान, 08 नोटिस निर्गत की गयी 01 निर्माण सील।

जोन संख्या–03 व 04 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे 05 चालान, की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 10 चालान, 08 नोटिस निर्गत की गयी एवं 02 निर्माण सील किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

05.08.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क